कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा, औरैया

पत्र संख्या– 61(1) निविदा सू0 –2020 / अछल्दा दिनांक– 14 जुलाई, 2020

ई–निविदा सूचना

शासनादेश संख्या– 3890 / नौ–5–19–149सा / 2019, नगर विकास अनुभाग–5, लखनऊ दिनांकः 20 सितम्बर, 2019 के अनुपालन में समस्त ठेकेदारो / आपूर्तिकर्त्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) में राज्य वित्त आयोग की उपलब्ध धनराशि से प्रस्तावित निम्नॉकित कार्य हेतु ई–प्रोक्योमेंट / ई–टेण्डर के माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र की एवं धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) का पंजाव नेशनल बैंक, शाखा अछल्दा (औरैया) में संचालित खाता संख्या– 7998000100065612 (IFSC Code.PUNB 0799800) पर भुगतान कर उसकी रसीद की मूल प्रति संलग्न कर बेबसाइट http/ /etender.up.nic.in से दिनांकः 16/07/2020 से प्रातः 10.00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है। ऑनलाइन निविदा दिनांकः 23/07/2020 को अपरान्ह 12.00 तक डाली जा सकती है, जो उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

कार्य से सम्बन्धित आगणन स्पेशीफिकेशन व निविदा सम्बन्धी अन्य शर्ते किसी भी समय कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है ,रू0 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) के स्टाम्प पर नोटरी हलफनामा निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यो की निविदा की सूचना जनपद औरैया की बेवसाइट **www.auraiya.up.nic.in** पर भी प्राप्त की जा सकती है। कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0	कार्य / क्रय किये जाने वाली प्रस्तावित सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 18%	निर्धारित 10 प्रति0 ऑनेष्ट मनी की धनराशि	कार्य करने की निर्धारित अवधि
1	नगर पंचायत अछल्दा में अवस्थित वार्डो में 29 नग वाटर कूलर स्थापना का कार्य।	32.65	3,500+630=4,130.00	3,26,500.00	एक माह
2	नगर पंचायत अछल्दा में पसैया रोड पर बनी गौशाला में कर्मचारियों हेतु एकल कक्ष का निर्माण कार्य।	1.98	200+36=236.00	19,800.00	20 दिन
	योग–	34.63	3,700+666=4,366.00	3,46,300.00	–

(कृष्ण प्रताप सरल)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

(राजेशकुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

पत्र संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– 1. बेबसाइट http/ /etender.up.nic.in पर अपलोड हेतु।

2. समाचार पत्र अमर उजाला कानपुर व जन सन्देश को सूचना समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

3. जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी,औरैया की सेवा में जनपद की बेवसाइट पर सूचना प्रकाशन हेत।

4. अवर अभियन्ता, नगर पंचायत अछल्दा, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा के सूचनापट पर चस्पा हेतु।

6. कार्यालय प्रति।

14/07/2020

(कृष्ण प्रताप सरल)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

राजेशकुमार

(राजेशकुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा, औरैया

–: निविदा की अन्य शर्ते :–

1. समस्त निविदा दाताओं को निविदा की तकनीकी बिड के साथ आवश्यक स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र यथा– जी0एस0टी0, आयकर , चरित्र, हैंसियत, एवं श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा, तथा तकनीकी बिड का पृथक से लिफाफा कार्य का कमांक व नाम अंकित करते हुये तथा RTGS/NEFT द्वारा जमा निविदा शुल्क एवं जमानत राशि की रसीद मय कार्य विवरण सहित संलग्न तैयार कर बिड खुलने से पूर्व कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित कार्य की जमानत राशि 10% नगरपंचायत अछल्दा (औरैया) के पंजाव नेशनल बैंक शाखा अछल्दा में खुले खाते में जमा करना अनिवार्य होगा जो धनराशि आबंटन शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अधीन बंधक रहेगी।
3. निविदादाता का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य होगा।
4. राज्यबार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति अधिवक्ता अधिनियम में नही है। अतएव किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी का कार्य करने की अनुमति नही होगी।
5. बिना किसी कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहरताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को अस्वीकृत का कारण पूँछने का कोई अधिकार नही होगा।
6. निविदा स्वीकृत के उपरान्त ठेकेदार को स्वंय के व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर नगर पंचायत के पक्ष में ठेके का अनुबन्ध कराते हुये निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
7. आम जनता की जानकारी हेतु कार्य प्रारम्भ कराते समय ठेकेदार को सर्वप्रथम निर्माणाधीन स्थल पर योजना का नाम, कार्य का विवरण, स्वीकृत लागत, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि तथा समाप्त होने की सम्भावित तिथि अंकित कराते हुये एक साइन बोर्ड लगवाना अनिवार्य होगा।
8. गुणवत्ता की तकनीकी जॉचोपरान्त ही कार्य स्वीकार किया जावेगा और आवश्यकतानुसार ठेकेदार जॉच कराने के लिये बाध्य रहेगा।
9. यदि निविदादाता ठेकेदार निर्धारित मानक के अनुसार कार्य नही करेगा तो भा0द0 संहिता के अन्तर्गत अपराध माना जावेगा तथा ठेकेदार के विरुद्व भ0द0संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कीजावेगी।
10. निविदादाताओं के निविदा में जो पता अंकित मिलेगा, वही मान्य होगा और इस पते पर भेजी गयी डाक यदि किसी कारणवश डाकखाने से उसे वितरित नही हो पाती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय निविदादाता की होगी तथा वह वितरित मानी जावेगी।
11. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत राशि नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) के पक्ष में जब्त करते हुये निविदा निरस्त की जा सकेगी।
12. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई भी निविदा न तो बेंची जावेगी और न ही प्राप्त की जावेगी।
13. एकल निविदा एवं सशर्त निविदा स्वीकार्य न होगी।
14. निविदा के साथ रू0 100.00 (रू0 एक सौमात्र) के स्टाम्प पेपर परनोटरी शपथपत्र निर्धारित प्रारुप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. सभी प्रकार की स्वीकृतियॉ (यथा आगणन, निविदा व विल भुगतान आदि) पारित करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी को होगा।
16. प्रत्येक निविदादाता अपनी दरें सभी आइटमों पर औसत प्रतिशत के आधार पर देंगे।
17. यदि न्यूनतम् निविदादाता निविदा स्वीकृति के उपरान्त बॉछित औपचारिकताएं यथा जमानत राशि जमा करने व अनुबन्ध कराने के साथ–2 समय से कार्य कराने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
18. प्रथम न्यूनतम् निविदादाता के विफल होने की दशा में द्वितीय निविदादाता के पक्ष में उसकी सहमति के आधार पर निविदा स्वीकृत की जा सकती है और उसके भी असफल/असहमत होने कीदशा में तृतीय न्यूनतम् निविदादाता के पक्ष में उसकी सहमति के आधार पर निविदा स्वीकृत कीजा सकती है और प्रकिया अन्तिम निविदादाता तक चलेगी अथवा दुवार निविदा आमन्त्रित किये जा सकेंगें।
19. कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार की काई भी शर्त मान्य न होगी।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी/अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
21. कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेइार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूट–फूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
22. योजनान्तर्गत शासनदेश में वर्णित समस्त शर्तो व नियम का पालन करने हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से बाध्य होगा।

(कृष्ण प्रताप सरल)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

(राजेश कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

Scanned with CamScanner